RCMS2016/00240

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी: श्री नरेन्द्र गुप्ता, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 317/2016

उनवान

भेरूलाल पुत्र मोडूलाल (मृतक) कायम मुकामान
1. मुस0 अनोख बाई बेवा भेरूलाल
2. जगदीश पुत्र भेरूलाल मृतक जरिये कायम मुकामान
   2/1 गीता बाई पत्नी जगदीश प्रसाद
   2/2 कमलेश बाई पुत्री जगदीश प्रसाद
   2/3 महेन्द्र आत्मज जगदीश प्रसाद
   2/4 रामसिया पुत्री जगदीश प्रसाद
   2/5 चेतन आत्मज जगदीश प्रसाद
3. हंसराज आत्मज भेरूलाल
4. महावीर आत्मज भेरूलाल
5. दुलारी लाल आत्मज भेरूलाल
6. प्रेम बाई पुत्री भेरूलाल जाति मीणा निवासीगण हरिपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा

(अपीलाण्ट)

बनाम

1. बंशी लाल आत्मज हीरालाल
2. कन्हैयालाल आत्मज हीरालाल
3. लक्ष्मीनारायण आत्मज रामदयाल
4. श्रीलाल आत्मज रामदयाल
5. सत्यनारायण आत्मज रामदयाल जाति धाकड निवासीगण ग्राम डूंगरज्या तहसील दीगोद जिला कोटा

(रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :– 1. श्री बलराम शर्मा (अभिभाषक अपीलाण्ट)

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 10.05.2016
न्यायालय तहसीलदार दीगोद प्रकरण धारा 183 बी राज0 टीनेन्सी एक्ट
अन्तर्गत धारा 225 राज0 टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक : 13.12.2019

1. अपीलाण्ट की ओर से जर्ये अभिभाषक यह अपील योग्य अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दीगोद के प्रकरण धारा 183 बी राज0 टी0 एक्ट में पारित आदेश दिनांक 10.05.2016 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राज0 टीनेन्सी एक्ट में प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये है कि अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र 183 बी आर.टी. एक्ट का अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दीगोद के यहां प्रस्तुत कर कथन किया कि वे ख0 नं0 330 की 1.75 हैक्टर भूमि के खातेदार है । प्रार्थीगण जाति से मीना है जो अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति है । उक्त भूमि प्रतिपक्षी ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है इसलिये बेदखल कर कब्जा दिलाया जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने दोनो पक्षों को सुनकर दि0 25.10.2005 को निर्णय पारित कर प्रार्थीगण का प्रा0 पत्र स्वीकार किया जिसकी अपील न्यायालय अति0 जिला कलक्टर कोटा मे अप्रार्थीगण द्वारा पेश की गई जो दिनांक 10.03.2006 को खारिज हुई जिसकी निगरानी अप्रार्थीगण ने मा0

राजस्व मण्डल राज0 अजमेर मे पेश की जो स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दि0 25.10.2005 व न्यायालय अति0 जिला कलक्टर कोटा के निर्णय दिनांक 10.03.2006 को निरस्त कर उक्त प्रकरण मा0 राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के निर्णय दिनांक 23.01.2014 से रिमाण्ड होकर अधीनस्थ न्यायालय मे पुनः सुनवाई हेतु साक्ष्य का समुचित अवसर देते हुए अनुच्छेदो मे की गई विवेचना व अंकित मत ऑब्जरवेशन को ध्यान पर रखकर गुणावगुण के आधार पर नवीनतम निर्णय पारित करने हेतु भिजवाया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को पूर्ण रूप से जवाबदेही व साक्ष्य का अवसर प्रदान नही किया और सरसरी तौर पर अपीलान्ट प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी आर.टी. एक्ट निर्णय दि0 10.05.2016 से खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नही दिया कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड मे अपीलान्टान के नाम दर्ज है और रेस्पो0 ने जबरन ताकत के बल पर कब्जा कर जबरन काश्त कर ली व अतिक्रमी के रूप मे काबिज है जिसका अवैध रूप से कब्जा बनाये रखने का अधिकार नही है । इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार न कर खारिज करने मे त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी कतई ध्यान नही दिया कि प्रार्थीगण अपीलान्टान जाति से मीना है और अनुसूचित जन जाति के सदस्य है तथा रेस्पो0 सवर्ण जाति का सदस्य है जिसको कब्जा बनाये रखने का अधिकार नही है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे यह अंकित किया है कि विवादित भूमि रेस्पो0 नें प्रार्थीगण से दिनांक 22.03.79 को खरीद करने का कोई ओचित्य नही है क्योकि विवादित भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज नही थी । उक्त बेचान विक्रय की श्रेणी मे नही आता है तथा इस मामले मे कभी भी भेरूलाल की अथवा उसके वारिसान प्रार्थीगण की सहमति नही रही । उक्त भूमि पूर्व मे बंशीलाल का अतिक्रमण था जिसको दिनांक 1.10.2005 को बेदखल कर भेरूलाल के पुत्र रामप्रसाद को मौके पर कब्जा पटवारी हल्का द्वारा गवाहान के समक्ष संभलाया गया । किन्तु पुनः रेस्पो0 द्वारा जबरन अतिक्रमण करने के कारण वे बेदखली योग्य थे इस अहम तथ्य पर ध्यान दिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र खारिज करने मे त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.01.2014 में अंकित दिशा निर्देशों व बनाये गये तीन प्रश्नों के आधार पर कोई ध्यान न देकर मनमाने तौर पर निर्णय पारित कर प्रार्थना पत्र खारिज करने मे त्रुटि की है जो अपास्त होने योग्य है । अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय अपीलान्टान की अनुपस्थिति मे पारित किया है अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 से मिल कर निर्णय पारित किया है जिसकी प्रार्थीगण अपीलान्ट को कोई जानकारी नही हुई तथा प्रार्थीगण अपीलान्टान ने पेशी की जानकारी करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय मे गये तो उक्त प्रकरण का निर्णय दिनांक 10.05.2016 को ही कर दिये जाने पर सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 19.12.2016 को हुई इस पर अपीलान्टान ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 20.12.2016 को पेश किया जिस अविलम्ब दिनांक 21.12.2016 को नकल प्राप्त हुई और यह अपील जानकारी की तिथि से व नकल मिलने के दिन के के कन्डोन करते हुए अवधि मध्य पेश की गई । अतः दिनांक 10.05.2016 से दिनांक 19.12.2016 व नकल के दिन मुजरा करने पर अपील अवधि मध्य स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया । अतः अपील अपीलान्टा स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.05.2016 को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया ।

2. अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेण्ट की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुऐ।

3. दौराने बहस रेस्पो0 व वकील रेस्पो0 अनुपस्थित रहने से न्यायालय मे उपस्थित विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट का बहस अपील में कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में मा0 राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के निर्णय दिनांक 23.01.2014 से रिमाण्ड होकर अधीनस्थ न्यायालय मे पुनः सुनवाई हेतु साक्ष्य का समुचित अवसर देते हुए अनुच्छेदो मे की गई विवेचना

व अंकित मत ऑब्जरवेशन को ध्यान पर रखकर गुणावगुण के आधार पर नवीनतम निर्णय पारित करने हेतु भिजवाया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को पूर्ण रूप से जवाबदेही व साक्ष्य का अवसर प्रदान नही किया और सरसरी तौर पर अपीलान्ट प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी आर.टी. एक्ट निर्णय दि0 10.05.2016 से खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नही दिया कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड मे अपीलान्टान के नाम दर्ज है और रेस्पो0 ने जबरन ताकत के बल पर कब्जा कर जबरन काश्त कर ली व अतिक्रमी के रूप मे काबिज है जिसका अवैध रूप से कब्जा बनाये रखने का अधिकार नही है । इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार न कर खारिज करने मे त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी कतई ध्यान नही दिया कि प्रार्थीगण अपीलान्टान जाति से मीना है और अनुसूचित जन जाति के सदस्य है तथा रेस्पो0 सवर्ण जाति का सदस्य है जिसको कब्जा बनाये रखने का अधिकार नही है । अतः अपील अपीलान्टा स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.05.2016 को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया ।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.05.2016 के विरूद्व प्रस्तुत की गई अपील के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट मे देरी से अपील प्रस्तुत करने के जो कारण उल्लेखित किये है वे विश्सनीय एवं सन्तोष जनक होने से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमि0 एक्ट स्वीकार किया जाकर विलम्ब की अवधि क्षम्य योग्य होने से न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए डिले अवधि कन्डोन करते हुए प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णय पारित करना उचित समझते है ।

अधिनस्थ न्यायालय मे उपखण्ड अधिकारी दीगोद मे बंशीलाल वगे0 वाद अन्तर्गत धारा 88,89,183,188 राज0 टी0 एक्ट वर्ष 2014 से जेरकार होने तथा मोडूलाल का भू प्रबन्ध के दौरान दर्ज कराई गई खातेदारी विवादित होना मानकर प्रार्थीगण भेरूलाल वगे0 द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राज0 टी0 एक्ट खारिज किया है । जबकि माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 23.01.2014 मे दिये गये ऑब्जरवेशन (विवेचना) को ध्यान मे रखते हुए प्रकरण की पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया था । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.05.2016 के अवलोकन करने पर पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के निर्णय दिनांक 23.01.2014 मे दिये गये निर्देशों की पूर्ण पालना नही की जाकर सरसरी तौर पर निर्णय पारित किया गया है ।

6. अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.05.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के निर्णय दिनांक 23.01.2014 मे दिये गये दिशा निर्देशों की पूर्ण पालना की जाकर दोनो पक्षो को पुनः सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर देते हुये तथा मा0 राजस्व मण्डल के निर्णयों मे की गयी विवेचना व अंकित मत (observation) को ध्यान मे रखते हुये गुणावगुण पर प्रकरण का निर्णय किया जावे ।

7. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 13.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(नरेन्द्र गुप्ता)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा जिला कोटा